संख्या-152/2026/182 के-2/22-3-2025-17(349)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फहीम पुत्र श्री हैदर अली, निवासी जनपद-बरेली वर्तमान जनपद-मुरादाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0 (2)-286/2025 (बैठक दिनांक 21-01-2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फहीम पुत्र श्री हैदर अली, जो कस्बा-सैथल, थाना-हाफिजगंज, जनपद-बरेली हाल पता मिया कालोनी, थाना-मझोला, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 31-07-2004 को अकलीम हैदर पैसों का बार-बार तकादा करता था, जिसकी रंजिश के कारण बंदी अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चार हजार पीस वेलवेट लगाने का आर्डर मिलने का बहाना बनाकर अकलीम हैदर को ले गया एवं चादर का फंदा लगाकर गला घोटकर अकलीम हैदर नामक व्यक्ति की हत्या कर लाश को मकान में बने कमरे में मिट्टी में दबा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-793/2004 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-12, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31.01.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 18-01-2025 तक 15 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 12 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है तथा बंदी की आयु लगभग 39 वर्ष है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 31-07-2004 को अकलीम हैदर पैसों का बार-बार तकादा करता था, जिसकी रंजिश के कारण बंदी अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चार हजार पीस वेलवेट लगाने का आर्डर मिलने का बहाना बनाकर अकलीम हैदर को ले गया एवं चादर का फंदा लगाकर गला घोटकर अकलीम हैदर नामक व्यक्ति की हत्या कर लाश को मकान में बने कमरे में मिट्टी में दबा दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बरेली की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फहीम पुत्र श्री हैदर अली को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फहीम (बंदी संख्या-15601) पुत्र श्री हैदर अली, निवासी जनपद-बरेली वर्तमान जनपद-मुरादाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in